

20.10.2023

20.10.2023:-पत्रावली आज पेशी मे आई। वादीगण अधिवक्ता श्री रामपाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य राजीनाम हो गया। इसलिए वादीगण उक्त वादपत्र आगे नही चलाना चाहता। खारिज करने के आदेश फरमावे। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अतः उक्त वादपत्र वादीगण मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

*W. Singh*

सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ

